

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 23/2020

रजिस्ट्रेशन नं. :2020/00025

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा

बनाम

श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री
सुल्तान सिंह जाति राजपुरोहित मालिक
मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड
तलवाड़ा तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा,
स्थायी पता- मु.पो. किसनागर, मोहल्ला
रामदेव चौक, तह. नोखा, जिला बीकानेर,
राजस्थान।

उपस्थित :-

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा

श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री सुल्तान
सिंह

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 30.09.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 30-06-2020 को यह इस्तगास्ता इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 04-03-2020 को 02.10 पी.एम. बजे बाहंसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड तलवाड़ा तहसील बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री सुल्तान सिंह उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान में काउंटर पर 6 कि.ग्रा. मावा बर्फी आम जनता को विक्रय हेतु पाई गई। इसमें सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर उक्त मावा बर्फी 2 कि.ग्रा. साफ, सूखी एवं खाली स्टील की ट्रे में जाँच हेतु खरीदी तथा इनकी किमत 600 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन-2019 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा दो कि.ग्रा. मावा बर्फी को घुस कर एकरूप करने के पश्चात् चार साफ, सुखे व खाली काँच के जारों में बराबर (प्रत्येक में करीब 500 ग्राम) भरकर फार्मलीन की 40 डूंद प्रत्येक में डालकर जारों का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। उक्त चार नमूना भागों में से एक नमूना भाग नय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील नोहर कर जाँच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा को जमा करवाया।

अनिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाड़ा के पत्रांक 66 दिनांक 04.05.2020 एवं खाद्य विश्लेषक, खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला बांसवाड़ा से प्राप्त जाँच रिपोर्ट क्रमांक 80 दिनांक 26.03.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जाँच हेतु क्रय की गई मावा बर्फी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत उल्लंघन होने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 01-07-2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये रागन तलब किया गया।


दिनांक 30-09-2020 को अभियुक्त श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री सुल्तान सिंह जाति राजपुरोहित मालिक मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड तलवाडा ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक 66 दिनांक 04.05.2020 एवं खाद्य विश्लेषक, खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 80 दिनांक 26.03.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय की गई मावा बर्फी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबरटैण्डर्ड होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबरटैण्डर्ड की गई मावा बर्फी विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री सुल्तान सिंह जाति राजपुरोहित मालिक मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड तलवाडा को रूपये 15000/- (अक्षरे रु. पंद्रह हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2020 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(नरेश बुनकर)

न्याय निर्णयन अधिकारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर)

बॉसवाडा (राज.)

बॉसवाडा